पत्र संख्याः–पी0–4/43–38–33–2021/ 135

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
सीतामढ़ी

पटना, दिनांक :– 16.07.2021

विषयः– **मार्जन समिति की स्वीकृति के उपरान्त आवेदक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुकंपा के आधार पर बाल सिपाही से सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव में आवेदक को शारीरिक माप में कमी/उम्र में अधिकाई अथवा दोनों में मार्जन हेतु दिनांक–18.06.2021 को आयोजित बैठक में मार्जन समिति द्वारा निम्नलिखित मृत पुलिस कर्मी (स्तम्भ–03) के आश्रित (स्तम्भ–02) को शारीरिक माप की कमी में स्तम्भ–04 के अनुसार मार्जन की स्वीकृति प्रदान करते हेतु अनुशंसित किया गया हैः–

क्र0 सं0	सेवामुक्त बाल सिपाही का नाम/मृतक से संबंध/कोटि	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/अंतिमपदस्थापन/मृत्यु की तिथि/कारण	मार्जन की आवश्यकता	पद का नाम	आवंटित कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	अमनदीप/पुत्र/अनु0 जाति (आवेदक सीतामढ़ी जिला में बाल सिपाही के पद पर नियुक्त था।)	स्व0 राम इकबाल राम/हवलदार/वैशाली/03.04.2018 /गोली लगने के कारण	ऊँचाई में 7.3 से0मी0	सिपाही	**सीतामढ़ी**

- मार्जन समिति द्वारा उपर्युक्त आवेदक को केवल अपेक्षित मार्जन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उनके दावों पर मार्जन समिति द्वारा विचार नहीं किया गया है।
- आवेदक की शैक्षिणक योग्यता प्रमाण–पत्र/अन्य वांछित सभी कागजातों की जाँच कराकर संतुष्ट होने के उपरान्त उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई किया जाय।
- आवेदक का सभी वांछित कागजात/प्रमाण–पत्र मूल में वापस किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

16/7

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. आई0टी0मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

16/7

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।